प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 02 सितम्बर, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाईल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19580/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक-24 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाईल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (ईसीआईएल) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए तालिका में अंकित विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रू0 71,28,80,000/-(रूपया इकहत्तर करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्ता0 जैमरों की संख्या	प्रस्ता0 टावरों की संख्या	प्रस्तावित प्रति जैमर की मूल लागत	प्रस्तावित सीएसटी एवं सर्विस टैक्स की धनराशि	01 जैमर की टैक्स सहित कुल लागत	01 अदद टावर की मूल लागत	प्रस्तावित सीएसटी एवं सर्विस टैक्स की धनराशि	इन्सटालेशन व कमीशनिंग चार्जेस सर्विस टैक्स सहित प्रति जैमर	प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक वर्क	एक सम्पूर्ण यूनिट की लागत	कुल प्रस्तावित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	के0का0 बरेली	41	41	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	219760000
2	जि0का0 फिरोजाबाद	13	13	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	69680000
3	जि0का0 अलीगढ़	12	12	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	64320000
4	जि0का0 एटा	07	07	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	337520000
5	जि0का0 मुरादाबाद	05	05	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	26800000
6	जि0का0 इटावा	06	06	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	32160000
7	जि0का0 बुलन्दशहर	13	13	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	69680000
8	जि0का0 बांदा	05	05	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	26800000
9	जि0का0 मैनपुरी	12	12	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	64320000
10	जि0का0 झांसी	07	07	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	37520000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	जि0का0 जौनपुर	08	08	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	42880000
12	जि0का0 बलिया	04	04	4500000	225000	4725000	400000	20000	115000	100000	5360000	21440000
		133	133								योग-	712880000

(क) उक्त धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (ईसीआईएल) द्वारा स्थापित किये जाने वाले जैमरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) जैमरों को क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा एवं किसी भी अनियमितता के लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(ड़) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(ज) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-140/2016/982(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल),बी-2, शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in